अनुदान संख्या 27 - इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
GRANT No. 27 - MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	16180,36,00		16180,38,00	12457,45,65	-3722,92,35
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3366,73,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	368,68,00		408,86,00	389,63,01	-19,22,99
पूरक	Supplementary	40,18,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	145153.00	143450.99	138779.83	-4671.16
पु.	R.	-1702.01			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3454"	Major Head "3454"				
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Census Surveys and Statistics				
मू.	O.	94000.00			
पू.	S.	1.00	80001.00	80000.00	-1.00
पु.	R.	-14000.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्व क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	124403.00	100.85	..	-100.85
पु.	R.	-124302.15			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	1254480.00			
पू.	S.	1.00	1057812.16	1026965.82	-30846.34
पु.	R.	-196668.84			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत बारह मामलों में ₹169403.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहाः

(I) Provision of ₹169403.00 lakhs remained wholly unutilized in twelve cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग – इलेक्ट्रानिक्स" –

(A) Major Head "2552" - "Telecommunication and Electronics Industries-Electronics"-

(क) "इलेक्ट्रानिक शासी कार्यक्रम" – ₹6000.00 लाख;

(a) "Electronic Governance Programme"- ₹6000.00 lakhs;

(ख) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹4000.00 लाख;

(b) "National Knowledge Network Programme" - ₹4000.00 lakhs;

(ग) "इलेक्ट्रनिक्स और आई. टी. हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एम. एस. आई. पी. एस. ई. डी. पी और विनिर्माण क्लस्टर)" – ₹5900.00 लाख;

(घ) "आई. टी. और आई. टी. ई. एस. उद्योग संवर्धन" – ₹1000.00 लाख;

(ङ) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी और सी. सी.बी. टी. में अनुसंधान और विकास" – ₹6000.00 लाख;

(च) "साइबर सुरक्षा परियोजनायें" – ₹4000.00 लाख;

(छ) "डिजिटल भुगतान को बढावा" – ₹15113.00 लाख;

(ज) "क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना" – ₹6000.00 लाख; और

(झ) "उत्पादन सह प्रोत्साहन योजना (पी. एल. आई.)" – ₹46390.00 लाख।

उपर्युक्त नौ शीर्षो के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों को कार्यात्मक शीर्षो को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ञ) "भारत में सेमी कंडक्टरों के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण पारि प्रणाली के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम" – ₹30000.00 लाख – सेमी कंडक्टरों के विकास डिस्प्ले विनिर्माण पारि प्रणाली के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र से प्रस्ताव/दावे प्राप्त नहीं होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– भारत में सेमी कंडक्टरों के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण – पारि प्रणाली के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम" – ₹24900.00 लाख – प्रस्ताव

(c) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - ₹5900.00 lakhs;

(d) "Promotion of IT and ITeS Industries" - ₹1000.00 lakhs;

(e) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - ₹6000.00 lakhs;

(f) "Cyber Security projects" - ₹4000.00 lakhs;

(g) "Promotion of Digital Payments" - ₹15113.00 lakhs;

(h) "Capacity Building and Skill Development Scheme"- ₹6000.00 lakhs; and

(i) "Production Linked Incentive Scheme (PLI)" - ₹46390.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(j) "Modified Programme for Development of Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in India"- ₹30000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals/claims from North Eastern Region towards development of semiconductors and display manufacturing ecosystem.

(B) Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Modified Programme for Development of Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in

प्राप्त नहीं होने के कारण।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – भारत में सेमी कंडक्टरों का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण – पारितंत्र के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम" – ₹20100.00 लाख – योजना के अंतर्गत प्रस्ताव/दावे प्राप्त नहीं होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "संबद्ध कार्यालय – राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन. आई. सी.)" – ₹7512.91 लाख की बचत (₹133913.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से एन. आई. सी. की कुछ परियोजनाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संपादन नहीं होने, लीज लाइनों को किराये पर लेने में कटौती होने, तकनीकी श्रमशक्ति की देर से भरती/कार्यभार ग्रहण नहीं करने और एन. आई. सी. के एस. एंड टी कर्मियों की पदोन्नति होने पर पूर्व दिनांकित बकाया राशि के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3454" – "सर्वेक्षण और सांख्यिकी – विशिष्ट पहचान योजना – भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू. आई. डी ए. आई.)" के अंतर्गत – ₹14001.00 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹94001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्णय के कारण वित्त पोषण पद्धति में परिवर्तन होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम" –

(क) "आई. टी. और आई. टी. ई. एस. उद्योगों का संवर्धन" – ₹1295.95 लाख की बचत (₹12300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रोत्साहन संवितरित किए जाने, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित

India"- ₹24900.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Modified Programme for Development of Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in India" - ₹20100.00 lakhs - due to non-receipt of proposals/claims under the semiconductor scheme.

(II) Under Major Head "3451" - "Attached Offices - National Informatics Centre (NIC)"- saving of ₹7512.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹133913.00 lakhs) was due to non-execution of some NIC projects/training programmes owing to administrative reasons, reduction in hiring of lease line, late recruitment/joining of technical manpower and requirement of less funds towards ante-dating arrears for promotion of S&T officers of NIC.

(III) Under Major Head "3454" - "Surveys and Statistics-Unique Identification Scheme - Unique Identification Authority of India (UIDAI)"- saving of ₹14001.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹94001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to change in funding pattern owing to decision of MeitY.

(IV) Under Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Digital India Programme"-

(a) "Promotion of IT and ITeS Industries" - saving of ₹1295.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12300.00 lakhs) was due to less disbursement of incentives, non-receipt of proposals and cut imposed at

प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "साइबर सुरक्षा परियोजनायें" – ₹1349.04 लाख की बचत (₹31500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव देर से प्राप्त होने/कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "डिजिटल भुगतानों का संवर्धन" – ₹76612.14 लाख की बचत (₹110653.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डिजिटल भुगतानों का संवर्धन योजना वित्त मंत्रालय को अंतरित किए जाने और स्थापना संबंधी व्यय कम मात्रा में होने के कारण हुई।

(घ) "भारत में सेमी कंडक्टरों के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण – पारि प्रणाली के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम" – ₹156889.05 लाख की बचत (₹225000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औद्योगिक इकाईयों से देर से/कम संख्या में प्रस्ताव/दावे प्राप्त होने, मूल्यांकन और फ़ीस संवितरण के लिए आई. एफ़. सी. टी से बीजक देर से प्राप्त होने उपलब्धि हासिल नहीं होने के कारण आवेदन रद्द होने के कारण हुई।

(ङ) "क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना" – ₹2214.63 लाख की बचत (₹38750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया में देरी होने और कार्यान्वयन कर्ता अभिकर्ताओं को विक्रेताओं द्वारा बिल देरी से प्रस्तुत किए जाने के कारण हुई।

(खा) "विनियमन और प्रमाणन" –

(क) "मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस. टी. क्यू. सी)" – ₹2114.47 लाख की बचत (₹12360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, एस. टी. क्यू. सी. प्रयोगशालाओं/केंद्रों में नए भरती किए गए तकनीकी स्टाफ़ द्वारा देर से कार्यभार ग्रहण करने,

revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Cyber Security Projects" - saving of ₹1349.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31500.00 lakhs) was due to late/non-receipt of proposals.

(c) "Promotion of Digital Payments" - saving of ₹76612.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹110653.00 lakhs) was due to transfer of promotion of Digital Payments scheme to Ministry of Finance and less establishment related expenses.

(d) "Modified Programme for Development of Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in India" - saving of ₹156889.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹225000.00 lakhs) was due to late/non-receipt of proposals/claims from the industrial units, late receipt of invoices from IFCI towards appraisal and disbursement fees and rejection of application owing to non-achievement of milestones.

(e) "Capacity Building and Skill Development Scheme" - saving of ₹2214.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38750.00 lakhs) was due to delay in tender process and submission of bills by vendors to the implementing agencies.

(B) "Regulation and Certification"-

(a) "Standardisation, Testing and Quality Certification (STQC)" - saving of ₹2114.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12360.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, late joining of newly recruited technical staff in STQC

छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, एसटीक्यूसी प्रयोगशाला एवं केन्द्रों द्वारा स्थापना संबंधी अन्य व्ययों के लिए कम संख्या में दावे प्रस्तुत किए जाने और विभिन्न सेवाओं के लिए कम संख्या में संविदाकारी/आउटसोर्स स्टाफ़ लेने के कारण हुई।

(ख) "साइबर सुरक्षा (सी. ई. आर. टी आई. एन.)" – ₹1942.76 लाख की बचत (₹8450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एस. एंड टी. स्टाफ की देरी से भरती होने, सह अवस्थिति कार्यकलापों के लिए किराये के भुगतान को आस्थगित किए जाने, हार्डवेयर/साफ़्टवेयर मदों की कम संख्या में खरीद होने और कम संख्या में दौरे किए जाने के कारण हुई।

(गा) "स्वायत्त शासी और अन्य निकायों को सहायता" –

(क) "सोसायटी फ़ार एप्लाइड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (एस. ए. एम. ई. ई. आर.)" – ₹1000.00 लाख की बचत (₹16000.00 लाख के प्रावधान की तुलना में) स्थापना और अवसंरचना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "सेंटर फ़ार मैटीरीयल फ़ार इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी (सी. एम. ए. टी)" – ₹2698.13 लाख की बचत (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सी. एम. ए. टी. मुख्यालय और केंद्रों में तकनीकी और गैर तकनीकी स्टाफ़ के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, सी. फी. डब्ल्यू. डी. द्वारा अवसंरचनागत विकास पूरे नहीं किए जाने और उपकरणों की ए. एम. सी. लंबित रहने के कारण हुई।

(ग) "भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फ़ार स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फ़ार्मेशन (बी. आई. एस. ए. जी.–एन.)" – ₹2010.38 लाख की बचत (₹4400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण परियोजनाओं

Labs/Centres, receipt of less claims towards leave travel concession, medical re-imbursement, other establishment related expenses by STQC Labs and Centres and hiring of less contractual/outsourced staff for various services.

(b) "Cyber Security (CERT-In)" - saving of ₹1942.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8450.00 lakhs) was due to late recruitment for S&T staff, deferred payment of rent for co-location activities, less procurement of hardware/software items and less tours undertaken.

(C) "Assistance to Autonomous and Other Bodies"-

(a) "Society for Applied Microwave Engineering and Research (SAMEER)" - saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment and infrastructure related expenses.

(b) "Centre for Materials for Electronic Technology (C-MET)"- saving of ₹2698.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs) was due to non- filling up of vacant posts of technical and non-technical staff at C-MET headquarters and centres, non-completion of infrastructural development by CPWD and pending AMC of equipments.

(c) "Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo Information (BISAG-N)" - saving of ₹2010.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4400.00 lakhs) was due to non-execution

का संपादन नहीं हो पाने और आंतरिक संसाधन सृजित हो जाने के कारण हुई ।

of projects owing to imposition of Model Code of Conduct and generation of internal resources.

(घ) "सेमी–कंडक्टर प्रयोगशाला (एस. सी. एल.)" – ₹12306.00 लाख की बचत (₹53300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपकरणों के लिए भुगतान को अगले वित्तीय वर्ष तक के लिए आस्थगित किए जाने, पूंजीगत और उपभोग्य मदों के मामले में निर्धारित कार्य पूरा नहीं हो पाने, उच्च स्तरीय और आयातित पूंजीगत वस्तुओं, कलपुर्जों, कच्चे माल, रसायनों और गैस को परिदान करने/संस्थापित करने/लगाने की लंबी अवधि वचनबद्धताएं होने के कारण हुई।

(d) "Semi-Conductor Laboratory (SCL)" - saving of ₹12306.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹53300.00 lakhs) was due to deferement of payments for tools to the next financial year, non-completion of scheduled work in capital and consumable items, long commitment delivery/ installation and commissioning period for high and imported capital items, spares raw material, chemical and gases.

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "आई. टी. और आई. टी. ई. एस. उद्योगों का संवर्धन" – ₹522.90 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Promotion of IT and ITeS Industries" - saving of ₹522.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs);

(ख) "इलेक्ट्रानिक्स और आई. टी. हार्डवेयर विनिर्माण (एम. एस. आई. पी. एस., ई. डी. एफ़. और विनिर्माण क्लस्टर) का संवर्धन" – ₹3348.46 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - saving of ₹3348.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs); and

(ग) "साइबर सुरक्षा परियोजना" – ₹1500.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Cyber Security Projects" - saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्ताव/दावों की देरी से प्रस्तुति होने/प्रस्तुति नहीं होने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to late/non-receipt of proposals/claims.

(घ) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स औ सी. सी. बी. टी. में अनुसंधान और विकास" – ₹1479.53 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(d) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - saving of ₹1479.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non-receipt of R&D proposals.

(ङ) "क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना" – ₹1033.86 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और अनुदान प्राप्तकर्ता निकायों द्वारा जारी किए गए अनुदान का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(च) "उत्पादन सह प्रोत्साहन योजना (पी. एल. आई.)" – ₹3475.09 लाख की बचत (₹38550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और स्कीम के अंतर्गत निर्धारित किए गए निवेश और वर्धित बिक्री लक्ष्यों को पूरा कर पाने में आवेदकों की निष्पादकता कम रह जाने के कारण अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रोत्साहन राशि संवितरित किए जाने को आस्थगित करने का निर्णय लिए जाने के कारण हुई।

(डा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(क) "आई. टी. और आई. टी. ई. एस. उद्योगों का संवर्धन" – ₹604.63 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "साइबर सुरक्षा परियोजना" – ₹1500.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षो के अंतर्गत बचतें प्रस्ताव देरी से प्राप्त होने / प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ग) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स औ सी. सी. बी. टी. में अनुसंधान और विकास" – ₹752.77 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास के प्रस्ताव देरी से प्राप्त होने / प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(घ) "इलेक्ट्रानिक्स और आई. टी. हार्डवेयर विनिर्माण (एम. एस. आई. पी. एस., ई. डी. एफ़. और विनिर्माण क्लस्टर) का संवर्धन" – ₹2666.83 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव दावे प्राप्त नहीं होने के कारण हुई;

(e) "Capacity Building and Skill Development Scheme" - saving of ₹1033.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs); was due to non-receipt of proposals and less utilization of grants released to grantee bodies.

(f) "Production Linked Incentive Scheme (PLI)" - saving of ₹3475.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38550.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and decision of the Empowered Committee to defer the disbursement of Incentives owing to underperformance of applicants in meeting the investment and incremental sales threshold defined under the scheme.

(E) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Promotion of IT and ITeS Industries" - saving of ₹604.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs); and

(b) "Cyber Security Projects" - saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to late/non-receipt of proposals.

(c) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - saving of ₹752.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to late/non-receipt of R&D proposals.

(d) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - saving of ₹2666.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals/claims.

(ङ) "क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना" – ₹1085.35 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और अनुदान प्राप्तकर्ता निकायों द्वारा जारी किए गए अनुदान का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(च) "उत्पादन सह प्रोत्साहन योजना (पी. एल. आई.)" – ₹2806.52 लाख की बचत (₹31120.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और स्कीम के अंतर्गत निर्धारित किए गए निवेश और वर्धित बिक्री लक्ष्यों को पूरा कर पाने में आवेदकों की निष्पादकता कम रह जाने के कारण अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रोत्साहन राशि संवितरित किए जाने को आस्थगित करने का निर्णय लिए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹85461.16 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2023 में मुख्य शीर्ष "2852" – "दूर संचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम" –

(क) "इलेक्ट्रानिक गवर्नेंस कार्यक्रम" – ₹8575.01 लाख। तथापि, ₹8219.54 लाख का अधिक व्यय हुआ।

(ख) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹27000.00 लाख। तथापि ₹26994.35 लाख का अधिक व्यय हुआ।

(ग) "इलेक्ट्रानिक्स और आई. टी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एम. एस. आई. पी. एस. ई. डी. एफ़. और विनिर्माण क्लस्टर)" – ₹13506.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹11341.93 लाख हुआ।

(e) "Capacity Building and Skill Development" - saving of ₹1085.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and less utilization of grants released to grantee bodies.

(f) "Production Linked Incentive Scheme (PLI)" - saving of ₹2806.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31120.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and decision of the Empowered Committee to defer the disbursement of Incentives owing to underperformance of applicants in meeting the investment and incremental sales threshold defined under the scheme.

2.(I) The above savings were partly (₹85461.16 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2023 under Major Head "2852"- "Telecommunication and Electronic Industries" - under the following heads:-

(A) "Digital India Programme"-

(a) "Electronic Governance Programme" - ₹8575.01 lakhs. Actual excess, however, was ₹8219.54 lakhs.

(b) "National Knowledge Network Programme" - ₹27000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹26994.35 lakhs.

(c) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - ₹13506.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11341.93 lakhs.

(घ) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और सी. सी. बी. टी. में अनुसंधान और विकास" – ₹35980.15 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹35940.93 लाख हुआ।

(खा) "स्वायत्त शासी और अन्य निकायों को सहायता – डिजिटल इंडिया निगम (डी. आई सी.)" – ₹400.00 लाख।

(II) बचतें भी निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईः

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" – ₹1139.74 लाख का अधिक व्यय (₹11240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एल. डी. सी. ई. जांच करने के लिए एन. आई. ई. एल. आई. टी. के लंबित बिलों, बिजली/पानी के बिलों को निपटाने, चिकित्सा दावों, सी. आई. एस. एफ़. सुरक्षा बल कर्मियों के वेतन, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवालय में तैनात परामर्शदाताओं की सेवाओं को लेने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग – उद्योगों/कंपनियों को सहायता – उत्पादन सह प्रोत्साहन योजना (पी. एल. आई.)" – ₹16607.75 लाख का अधिक व्यय (₹348444.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों का कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (₹1922.99 लाख) दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹4018.00 लाख के पूरक अनुदान का 48 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

(d) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT"- ₹35980.15 lakhs. Actual excess, however, was ₹35940.93 lakhs.

(B) "Assistance to Autonomous and Other Bodies - Digital India Corporation (DIC)" - ₹400.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" -"Secretariat - Ministry of Electronics and Information Technology"- excess of ₹1139.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11240.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills of NIELIT for conducting LDCE Examination, Electricity/ Water, medical claims, salary of CISF Security Personnel and hired consultants deployed in MeitY Secretariat.

(B) Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries - Assistance to Industries/Companies - Production Linked Incentive Scheme (PLI)" - excess of ₹16607.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹348444.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for unilistion on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1922.99 lakhs) constituted 48 percent of the supplementary grants of ₹4018.00 lakhs obtained in December, 2023 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4859"	Major Head "4859"				
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries				
मू.	O.	15295.00			
पू.	S.	2955.00	22370.00	21850.98	-519.02
पु.	R.	4120.00			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	21573.00			
पू.	S.	1063.00	18516.00	17112.03	-1403.97
पु.	R.	-4120.00			

(I) मुख्य शीर्ष "5475" – "मशीनरी और उपकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र" के अंतर्गत – ₹18813.00 लाख का मूल प्रावधान ₹1063.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹19876.00 लाख तक बढाया गया। तथापि आई. सी. टी. उपकरणों की खरीद नहीं होने, डाटा केंद्रों के लिए मुख्य निर्माण कार्य पर अपेक्षाकृत कम व्यय होने और आई. सी. टी मदों की खरीद के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने संपादित होने के कारण ₹5657.07 लाख की बचत हुई।

(I) Under Major Head "5475"-"Machinery and Equipment - National Informatics Centre"- the original provision of ₹18813.00 lakhs was augmented to ₹19876.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1063.00 lakhs. However, there was a saving of ₹5657.07 lakhs (including supplementary grant) - due to non-procurement of ICT equipment, less expenses towards major works for Data Centres and receipt of less proposals executed for procurement of ICT items.

(II) मुख्य शीर्ष "4859" – "इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान और विकास एस. टी. क्यू. सी. के लिए भूमि और भवन निर्माण" के अंतर्गत ₹500.00 लाख का मूल प्रावधान ₹2800.00 लाख के पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹3300.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, प्राधिकृत किए जाने के लिए सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹394.89

(II) Under Major Head "4859" - "Electronics - Research and Development- Land and Building for STQC" - the original provision of ₹500.00 lakhs was augmented to ₹3300.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2800.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹394.89

लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

4. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से मुख्य शीर्ष "4859"– "इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान और विकास एस. टी. क्यू. सी. के लिए मशीनरी और उपकरण और अन्य परियोजनायें" के अंतर्गत साइबर सुरक्षा साफ़्टवेयर लाइसेंस के वार्षिक नवीकरण और अन्य मदों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹3995.87 लाख के हुए अधिक व्यय (₹155.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹14950.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

lakhs - due to less utilization of funds by CPWD against authorization.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4859" - "Electronics-Research and Development - Machinery and Equipment for STQC and Other Projects" - excess of ₹3995.87 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14950.00 lakhs including supplementary grant of ₹155.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards annual renewal of cyber security software licenses and procurement of other items.